रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2011/भाद्र 22, 1933

No. 503] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2011/BHADRA 22, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 675(अ).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 31 (2)(छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियम, 1997 में निम्नलिखित पुनः संशोधन करती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (तृतीय संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये 1 अप्रैल, 2012 से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियम, 1997 (जिसे इसमें आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 9 में अंक "40,000" के स्थान पर अंक "50,000" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. मूल नियमों में, मौजूदा नियम के स्थान पर नियम 10 नीचे दिए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 (1) एनसीटीई अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 15 के अंतर्गत दिए गए अस्वीकृति आदेश अथवा धारा 17 के अंतर्गत दिए गए प्रत्याहरण आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति इन आदेशों के जारी होने के साठ दिन के अंदर इन नियमों के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न फार्म 1अथवा फार्म 2 में परिषद् से अपील कर सकता है। अपील प्रस्तुत करने के साथ 10,000 रुपए का शुल्क ऑनलाइन देय होगा :

परंतु शर्त यह है कि कोई अपील साठ दिन की उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अस्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता परिषद् को संतुष्ट कर देता है कि साठ दिन की सीमित अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत नहीं करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हैं।

2. अपील 10,000 रुपए के प्रक्रिया शुल्क के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर ऑनलाइन पद्धति के जरिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलकर्ता भरे हुए ऑनलाइन आवेदनपत्र को डाउनलोड करेगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ हार्ड प्रतियों के दो सेट अपील को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के दो दिन के अंदर सदस्य सचिव, एनसीटीई, नई दिल्ली को डाक द्वारा भेजेगा।

[फा. सं. 26-61/2010-ईई-10]

डा. अमरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 689 (अ), दिनांक 9 दिसम्बर, 1997 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए थे :

1. दिनांक 15 सितम्बर, 2003 को अधिसूचना सं. 450 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) नियम, 2003
2. दिनांक 9 अक्तूबर, 2003 को अधिसूचना सं. 495 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) नियम, 2003

धारा 14 और 15 के अंतर्गत जारी अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध अपील ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय

फार्म 1

अपील का ज्ञापन

(देखें नियम 10)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समक्ष अपील

..... की अपील संख्या

संस्था का नाम और पता (अपीलकर्ता)

बनाम

क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय समिति, (अपीलकर्ता)

सेवा में

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
नई दिल्ली।

महोदय,

उपर्युक्त अपीलकर्ता निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करता है :

1. (क) अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 14/15 के अंतर्गत पाठ्य के लिए मान्यता हेतु दिनांकको भुवनंश्वर/भोपाल/जयपुर/बंगलौर स्थित पूर्वी/पश्चिमी/उत्तरी/दक्षिण क्षेत्रीय समिति के समक्ष अपील की थी ।

(ख) क्षेत्रीय समिति ने दिनांक के अपने आदेश, जिसकी एक प्रति यहां संलग्न है, के जरिए निम्नलिखित कारणों से मान्यता देना अस्वीकार कर दिया है ।

अपीलकर्ता अनुरोध करता है कि क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए थी । क्षेत्रीय समिति ने इस मामले का निर्णय करने में त्रुटि की है और इस बात के निम्नलिखित आधार हैं :

क्रम सं.	अस्वीकृति का आधार	संस्था का स्पष्टीकरण

2. यदि अपील 60 दिन की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत की जाती है तो विलंब के कारण प्रस्तुत किए जाएं।

विलंब (विलंबों) के कारण

.....

.....

3. यदि अपीलकर्ता ने कोई कोर्ट केस फाइल किया हो तो उसका ब्यौरा दिया जाए।

कोर्ट केस, यदि कोई हो

.....

.....

निवेदन

अत: अपीलकर्ता यह निवेदन करता है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे वापस ले लिया जाए और अपीलकर्ता को उचित राहत प्रदान की जाए ।

मैं ऊपर उल्लिखित अपीलकर्ता एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि यहां जो कुछ भी कहा गया है वह मेरी/हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी/सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य है और कोई भी तथ्य गढ़ा हुआ/तोड़ा-मरोड़ा और छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध पहले अपील नहीं की है ।

अपीलकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

(अपीलकर्ता का पता)

धारा 17 के अंतर्गत जारी प्रत्याहरण आदेश के विरुद्ध अपील

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय

फार्म 2

अपील का ज्ञापन

(देखें नियम 10)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के समक्ष अपील

.....की अपील संख्या

संस्था का नाम और पता (अपीलकर्ता)

बनाम

क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय समिति, (अपीलकर्ता)

सेवा में

सदस्य सचिव,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,

नई दिल्ली।

महोदय,

उपर्युक्त अपीलकर्ता निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करता है :

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 14/15 के अंतर्गत अपीलकर्ता को भुवनेश्वर/भोपाल/जयपुर/बंगलौर स्थित क्षेत्रीय समिति द्वारा दिनांक को मान्यता प्रदान की गई थी।

क्षेत्रीय समिति ने दिनांक के अपने आदेश, जिसकी एक प्रति यहां संलग्न है, के जरिए निम्नलिखित आधार पर मान्यता/अनुमति वापस ले ली है। अपीलकर्ता अनुरोध करता है कि क्षेत्रीय समिति ने इस मामले पर निर्णय करने में त्रुटि की है और इस बात के निम्नलिखित आधार हैं :

क्रम सं.	अस्वीकृति का आधार	संस्था का स्पष्टीकरण

2. यदि अपील 60 दिन की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत की जाती है तो विलंब के कारण प्रस्तुत किए जाएं ।

विलंब (विलंबों) के कारण

.....

.....

3. यदि अपीलकर्ता ने कोई कोर्ट केस फाइल किया हो तो उसका ब्यौरा दिया जाए।

कोर्ट केस, यदि कोई हो

.....

.....

निवेदन

अत: अपीलकर्ता यह निवेदन करता है कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई उसे वापस ले लिया जाए और अपीलकर्ता को उचित राहत प्रदान की जाए ।

मैंऊपर उल्लिखित अपीलकर्ता एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि यहां जो कुछ भी कहा गया है वह मेरी/हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी/सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य है और कोई भी तथ्य गढ़ा हुआ/तोड़ा-मरोड़ा और छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध पहले अपील नहीं की है ।

अपीलकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी
का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

(अपीलकर्ता का पता)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2011

G.S.R. 675 (E).—In exercise of powers conferred by Section 31 (2) (g) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the Central Government hereby makes the following further amendments to the National Council for Teacher Education Rules, 1997, namely :—

1. (1) These Rules may be called the National Council for Teacher Education (Third Amendment) Rules, 2011.
(2) They shall come into force from the 1st of April, 2012.

2. In the National Council for Teacher Education Rules, 1997 (hereinafter referred to as principal Rules), in rule 9, for the figure "40,000", the figure "50,000", shall be substituted.

3. In the principal Rules, rule 10, for the existing rule, the following shall be substituted, namely :—

10 (1) Any person aggrieved by a refusal order made under Section 14 or Section 15 or withdrawal order made under Section 17 of the NCTE Act, may prefer an appeal in Form I or Form II appended to these Rules, to the Council within Sixty days of issue of such orders, along with a fee of Rs. 10,000/- payable online with the submission of appeal :

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the said period of sixty days, if the appellant satisfies the Council that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation of sixty days.

(2) The appeal may be submitted electronically through online mode on the website of National Council for Teacher Education along with processing fee of Rs. 10,000/-. The appellant shall download the filled in online application and post two sets of hard copies accompanied with the requisite documents, to the Member Secretary, NCTE, New Delhi within two days of online submission of the appeal.

[F. No. 26-61/2010-EE-10]

Dr. AMARJIT SINGH, Jt. Secy.

Note.—The pricipal rules were published in the Gazette of India, Extra-ordinary *vide* No. G.S.R. 689 (E), dated 9th December, 1997 and subsequently amended by,—

1. National Council for Teacher Education (Amendment) Rules, 2003 *vide* No. 450 notified on 15th September, 2003.
2. National Council for Teacher Education (Amendment) Rules, 2003 *vide* No. 495 notified on 9th October, 2003.

Appeal against refusal order issued under Section 14 and 15

National Council for Teacher Education

A Statutory Body of the Government of India

Form 1

MEMORANDUM OF APPEAL

(See rule 10)

APPEAL BEFORE THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION UNDER SECTION 18 OF NCTE ACT, 1993

Appeal No. ----------of----------

Name of the Institution with address (Appellant)

Vs.

The Regional Director,----------Regional Committee, (Respondent)

To,

The Member Secretary,
National Council for Teacher Education,
New Delhi.

Sir,

The appellant named above begs to prefer this Memorandum of Appeal under Section 18 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 on the following facts and the grounds :

1. (a) The appellant had applied to the Eastern/Western/Northern/Southern Regional Committee at Bhubaneswar/ Bhopal/Bangalore under Section 14/15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) for grant of recognition onfor.....course.

(b) The Regional Committee has refused to grant such recognition *vide* its order dated....., a copy of which is attached herewith for the reason(s) set out below. The appellant submit that the recognition ought to have been granted by the Regional Committee. The Regional Committee erred in deciding the matter on the following grounds :

Sl. No.	Ground of Refusal	Explanation of the institution

2. In case, the appeal is submitted after the stipulated period of 60 days, the reasons of delay shall be furnished.

Reason (s) of Delay

.....

.....

3. If the Appellant has filed any Court case, the details to be made thereof.

Court Case, if Any

.....

.....

PRAYER

The appellant, therefore, prays that the order appealed against may be set aside and appropriatre relief granted to the applellant.

I....., the appellant above named do hereby declare that what is stated herein is true to the best of my/our knowledge/information and belief and nothing material has been fabricated/concocted,and concealed. I further declare that I had not appealed against the said order ealier.

Name and Signature of the
appellant or his authorized signatory

Date :

Place :

(Address of the Appellant)

IndiaCode

Appeal against withdrawal order issued under Section 17

National Council for Teacher Education

A Statutory Body of the Government of India

Form 2

MEMORANDUM OF APPEAL

(See rule 10)

APPEAL BEFORE THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION UNDER SECTION 18 OF NCTE ACT, 1993

Appeal No. ----------of----------

Name of the Institution with address (Appellant)

Vs.

The Regional Director,----------Regional Committee, (Respondent)

To,

The Member Secretary,
National Council for Teacher Education,
New Delhi.

Sir,

The appellant named above begs to prefer this Memorandum of Appeal under Section 18 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 on the following facts and the grounds :

1. The appellant was granted recognition byRegional Committee at (Bhubaneswar/Bhopal/Jaipur/ Bangalore) for.....course under Section 14/15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) on(Date of recognition).

2. The Regional Committee has withdrawn the recognition/permission *vide* its order

3428 GI/11-2

dated....., a copy of which is attached herewith for the grounds stated therein. The appellant submits that the Regional Committee erred in deciding the matter on the following grounds :

Grounds of Appeal

Sl. No.	Ground of Refusal	Facts/Explanation of the institution

3. In case, the appeal is submitted after the stipulated period of 60 days, the reasons of delay shall be furnished.

Reason (s) of Delay

.....

.....

4. If the appellant has filed any Court case, the details to be made thereof.

Court Case, if Any

.....

.....

PRAYER

The appellant, therefore, prays that the order appealed against may be set aside and appropriate relief granted to the appellant.

I....., the appellant above named do hereby declare that what is stated herein is true to the best of my/our knowledge/information and belief and nothing material has been fabricated/concocted and concealed. I further declare that I had not appealed against the said order ealier.

Date : Name and Signature of the

Place : appellant or his authorized signatory

(Address of the Appellant)

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.